प्रस्तावना

गंगा बेसिन, भारत की विशालतम नदी-बेसिन हैं जो देश की 26 प्रतिशत भूमि है तथा इसकी लगभग 43 प्रतिशत जनसंख्या की सहायक है। गंगा नदी ने अपनी सहायक नदियों के साथ, गंगा नदी के किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों को भौतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन प्रदान किया है।

गंगा नदी का इस देश की एक सामूहिक चेतना में अपना एक महत्वपूर्ण/विशिष्ट स्थान है, इस पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए पूर्व में और वर्तमान में चल रहे पहलों को एकीकृत करने के लक्ष्य से एक कार्यक्रम के रूप में, 'नमामि गंगे' नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, अनुमोदित (मई 2015) किया। प्राथमिकता प्रमुख गतिविधियों पर है जैसे प्रदूषण की रोकथाम, ग्रामीण नदी तट विकास, स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण, गंगा के विशिष्ट गुणों की पुर्नस्थापना, नदी के प्रवाह में सुधार, गंगा टास्क फोर्स, क्षमता निर्माण, जी.आई.एफ. मानचित्रण तथा गंगा निगरानी केन्द्र।

गंगा नदी पुनरूद्धार (नमामि गंगे) की निष्पादन लेखापरीक्षा में, नमामि गंगे के अंतर्गत परिकल्पित गंगा नदी के पुनरूद्धार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तंत्र कार्यान्वयन हेतु विविध संसाधनों की पर्याप्तता, विविध निकायों/एजेंसियों की भूमिका तथा समीक्षा एवं निगरानी में उनकी प्रभावशीलता की जांच की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में, वित्तीय प्रबंधन, योजना कार्यान्वयन तथा निगरानी में कमियां पाई गई, जिसके कारण कार्यक्रम के अंतर्गत मील के पत्थरों में विलम्ब की प्राप्ति हुई। यहां, प्रोजेक्ट के अनुमोदन में विलम्ब, योजना/स्कीम के अन्तर्गत विशाल अव्ययित शेष, मानव संसाधनों की कमी के कारण निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में विलम्ब हुआ। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, गंगा नदी बेसिन गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना, प्राप्त नहीं किया जा सका। गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु वानिकी हस्तक्षेप की कमी थी। दूर संवेदन आंकडों तथा मोबाईल का प्रयोग आरम्भिक स्तर पर था। निगरानी एवं मूल्यांकन अपर्याप्त पाया गया।

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान की धारा 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।